संख्या 2583 /एक-4/सा.प्र./2001

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा
सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून:दिनांक 20 नवम्बर,2001

विषयः स्थाई निवास प्रमाण पत्र.

महोदय,

समय-समय पर विभिन्न प्रयोजनों के लिए उत्तरांचल में स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के विषय में अलग-अलग व्यवस्थायें की जाती रही है जिनके चलते इस सम्बन्ध में लगातार भ्रम एंव अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई थी. इस विषय को लेकर भी भ्रान्तियां विद्यमान रही है कि स्थाई निवास प्रमाण पत्र का क्या तात्पर्य है और इसकी आवश्यकता किस प्रयोजन हेतु होनी चाहिए. सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अर्हताओं एंव प्रक्रिया के विषय में निम्नवत निर्णय लिया गया है :

(1) निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का शीर्षक स्थाई निवास प्रमाण पत्र होगा.

(2) यह प्रमाण पत्र उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा, जो भारत के नागरिक हों तथा उत्तरांचल के सद्भाविक निवासी (Bonafide Residents) हों. इस श्रेणी में वह व्यक्ति आयेंगे, जिनका स्थाई आवास (Permament Home) उत्तरांचल में हो: इसमें वे उत्तरांचल निवासी भी सम्मिलित होंगे जो उत्तरांचल में कम से कम 15 वर्ष से निवास कर रहे हों, अथवा जिनका उत्तरांचल में स्थाई आवास (Permament Home) हो, किन्तु वे अपनी आजीविका के लिए प्रदेश से बाहर निवास कर रहें हों. स्थाई आवास (Permament Home) का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो उत्तरांचल में पैत्रिक रूप से रह रहे हों/ जिनका उत्तरांचल में पैत्रिक आवास हो.

(3) स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा इस आशय की घोषणा आवश्यक होगी कि उसने किसी भी प्रयोजन हेतु किसी अन्य राज्य का स्थाई निवास ग्रहण नहीं किया है ।

(4) बिन्दु (2) में की गई व्यवस्था के अपवाद स्वरूप विशिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों को भी उत्तरांचल का सद्भाविक निवासी (Bonafide Residents) माना जायेगा, जो राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हो. केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तरांचल में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवायें उत्तरांचल से बाहर अस्थानान्तरणीय हैं, भी इस श्रेणी में शामिल होंगे. इस आशय का समुचित साक्ष्य आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा.

(5) शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के सन्दर्भ में स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता उसी दशा में होगी, जहां किसी संस्था/पाठ्यक्रम विशेष के लिए उत्तरांचल के निवासियों के लिए सीटें/कोटा आरक्षित हो. इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा समय-समय पर यथा आवश्यकता आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे .

2. मुझसे यह भी कहने की अपेक्षा की गयी है कि सामान्यता इस प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता कतिपय संगठनों, यथा सेना व अर्धसैनिक बलों में राज्यों के लिए निर्धारित कोटे के आधार पर भर्ती के क्रम में तथा कुछ शिक्षण संस्थाओं/विशिष्ट पाठ्यक्रमों हेतु राज्य के लिए निर्धारित कोटे के सन्दर्भ में पड़ती है. इसके अतिरिक्त कतिपय सेवाओं, यथा सेना, अर्धसैनिक बलों व पुलिस में विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए शारीरिक अर्हताओं में छूट की व्यवस्था की गयी है जिसके लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र पूर्ववत चल रही प्रक्रिया के अनुसार जारी किये जाते रहेंगे और इन निर्देशों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

3. उपरोक्त निर्देशों के अनुसार स्थाई निवास प्रमाण पत्र संलग्न-1 प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा इसमें उल्लिखित बिंदुओं पर भली भांति जांच के उपरान्त संलग्न-2 में इंगित प्रारूप में निर्गत किया जायेगा .

4. अनुरोध है कि कृपया स्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये .

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पी०सी० शर्मा)
सचिव

शासनादेश संख्या-2588/रा-4/तीन(3)/2001

संलग्नक- 1

सेवा में,

....

....

....

विषयः स्थाई निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र ।

महोदय,

....

....

....

(1) आवेदक का नाम

(2) आवेदक की जन्म तिथि व जन्म स्थान

(3) आवेदक के पिता का नाम

(4) आवेदक के पिता का जन्म स्थान

(5) यदि पिता का जन्म स्थान उत्तरांचल से भिन्न है तो वह कब से उत्तरांचल में निवास कर रहे हैं

(6) 1. आवेदक का स्थाई पता

2. आवेदक की शिक्षा–दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय / विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम , जनपद, वर्ष का विवरण दें)

(7) क्या आवेदक के माता/पिता/दादा/परदादा की कहां पैतृक सम्पत्ति है? यदि हां तो कहां तथा कब से है? (यहां सम्पत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जाये)

(8) क्या आवेदक के माता/पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भी दें)

(9) क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में हैं ? यदि हां तो किस जनपद में, किस विभाग में, किस पद पर तैनात हैं?

(10) स्थाई निवास प्रमाण पत्र मांगे जाने का कारण

हस्ताक्षर

नाम.......

1. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनाएं सत्य है.

2. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा उत्तरांचल के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य से किसी भी प्रयोजन के लिए स्थाई निवास/डोमीसाईल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है .

दिनांक : हस्ताक्षर

स्थान :

शासनादेश संख्या -2509/[illegible]

संलग्नक-2

स्थाई निवास प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती................ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.............................. निवासी ग्राम/मोह./वार्ड................ तहसील............................ जिला .... उत्तरांचल के स्थाई निवासी है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व निर्धारित समस्त मानदण्डों की भली भांति जांच कर ली गई है, और मैं जांच से पूर्णतया सन्तुष्ट हूं.

जिलाधिकारी/परगनाधिकारी

मुहर